

डब्ल्यू-02/ 0029/2021-डीपीई(डब्ल्यूसी)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग


लोक उद्यम भवन
ब्लॉक सं .14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 26.04.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- दिनांक 01.10.2020 को या उसके बाद और 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले आईडीए पैटर्न अपनाने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि की गणना पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को ऊपर उल्लिखित विषय पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के दिनांक 17.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या के-25027/9/2022-एफटी एसटी का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आईडीए वेतनमानों को अपनाने वाले सीपीएसई के कर्मचारी (बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षक) जिन्होंने 01.01.2020 और 30.06.2021 के बीच वीआरएस लिया था और अनुग्रह राशि के हकदार थे के संबंध में अनुग्रह राशि की गणना के लिए डीपीई का दिनांक 25.10.2021 का कार्यालय ज्ञापन भी लागू है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(नरेश कुमार)
अवर सचिव

सेवा में,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
[ध्यानाकर्षण: श्री राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव]
वाणिज्य भवन, अकबर रोड
नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।
2. सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालक।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक, उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।